झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी.एम.पी. संख्या 171/2019

राम विनोद सिन्हा

. ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य; प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, रांची के माध्यम से
2. पुलिस अधीक्षक, पलामू... उत्तरदातागण

<u>सी.एम.पी. संख्या 457/2019 (के साथ)</u>

राम विनोद सिन्हा

... याचिकाकर्ता।

बनाम

1. झारखण्ड राज्य; प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के माध्यम से
2. पुलिस अधीक्षक, पलामू, झारखण्ड।

... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन।

<u>माध्यम : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग</u>

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री प्रदीप कुमार, अधिवक्ता (सी.एम.पी. संख्या 457/2019)

राज्य की ओर से : सुश्री पिंकी तिवारी, एसी की एजी।

<u>04/10.12.2021:</u> दो अलग-अलग वकीलों द्वारा डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 7167/2017 को बहाल करने के लिए ये दो बहाली आवेदन दायर किए गए हैं।

सूचित किया गया है कि अधिवक्ता श्री प्रवीण कु. राणा की मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने सी.एम.पी. संख्या 171/2019 दायर की थी।

इस निवेदन पर विचार करते हुए, यह न्यायालय सी.एम.पी. संख्या 171/2019 पर विचार नहीं कर रहा है। सी.एम.पी. संख्या 457/2019 में पारित आदेश के अनुसार उसका निस्तारण किया जाता है।

<u>सी.एम.पी. संख्या 457/2019</u>

यह आवेदन डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 7167/2017 को बहाल करने के लिए दायर किया गया है, जिसे दिनांक 23.01.2019 के आदेश का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि असावधानी के कारण दोष को दूर नहीं किया जा सका। वे उसके लिए क्षमा याचना करते है। वे यह भी निवेदन करते हैं कि रिट आवेदन के बहाल होने के तुरंत बाद ही दोष को दूर कर दिया जाएगा।

उक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 7167/2017 को मूल फ़ाइल में बहाल किया जाता है।

तीन सप्ताह के भीतर रिट याचिका के दोष दूर कर लिए जाएं।

(आनंद सेन, न्याया.)

रजनीश/सीपी.2